न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 41/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. **कुलदीप पुत्र शंकरलाल** 2. **महेश पुत्र शंकरलाल** (जाति माली, निवासी पीथाराम का बाग, चैनपुरा मण्डोर, जोधपुर)		1. दीनदयाल पुत्र भंवरलाल 2. छगनसिंह पुत्र भंवरलाल (जाति माली, निवासी ग्राम आंगणवा, जोधपुर) 3. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत सुरपुरा, पं0स0 मण्डोर, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 05.01.2018 राजस्व अपील संख्या 19/2012 अनवान कुलदीप वगैरा बनाम दीनदयाल वगैरा

उपस्थित–

1. श्री मूलसिंह गहलोत, वकील अपीलाण्ट
2. श्री विरेन्द्र जाखड, वकील रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. रेस्पो0 सं0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 01.04.2024

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील जोधपुर स्थित ग्राम आंगणवा के खसरा नं0 59 रकबा 15.05 बीघा व खसरा न0 60 रकबा 7.10 बीघा किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 2 कुल रकबा 22.15 बीघा की सहखातेदारी भूमि में अपीलांट्स का हिस्सा 1/2 था। अपीलांट ने उपरोक्त खसरान की भूमि में से अपना हिस्सा 11.07.10 बीघा में से 06.05 बीघा का बेचान जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 06.01.2000 को रेस्पो0सं0 1 व 2 को कर दिया गया। बेचाननामे के अनुसार रेस्पो0 के हक में बेचान की गई भूमि का ही ना0क0 पारित किया जाना था, जबकि उनके द्वारा अपीलांट्स का संपूर्ण 1/2 हिस्सा यानि रकबा 11.07.10 बीघा का ना0क0सं0 247 सरपंच ग्रा0पं0 सूरपुरा द्वारा दिनांक 05.08.2003 पारित करवा लिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रथम अपील सं0 19/2012 प्रस्तुत की गई, जिसमे पारित निर्णय दिनांक 05.01.2018 द्वारा उक्त अपील म्याद बाहर होने से खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष आरएलआर एक्ट की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ने उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना हिस्सा 1/2 में से 06.05 बीघा का ही रेस्पो0 सं0 1 व 2 के पक्ष में पंजीबद्ध बेचान दिनांक 06.01.2000 को किया व इसका प्रतिफल प्राप्त किया। कानूनन पंजीबद्ध बेचाननामे के अनुसार रेस्पो0 के हक में बेचान की गई भूमि का ही ना0क0 स्वीकृत किया जाना था, जबकि उसके द्वारा अपीलांट्स की संपूर्ण 1/2 हिस्सा भूमि यानि 11.07.10 बीघा का ना0क0 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जो विधि सम्मत नही है। अपीलांट्स ने उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जो मात्र म्याद बिन्दु पर ही खारीज कर दी गई। इस प्रकार अपीलाधीन कृषि भूमि में अपीलांट्स के हिस्से में शेष रकबा 05.02.10 बीघा भूमि का कब्जा होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में जरिये ना0क0 दर्ज होना शेष है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश एवं ना0क0सं0 247 निरस्त कर, अपीलांट्स के नाम उसके हिस्से की शेष भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पा0 अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि बेचाननामे के अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि में से अपीलांट्स ने अपना संपूर्ण हिस्सा, मौके पर 06.05 बीघा का बेचान रेस्पो सं0 1 व 2 के पक्ष में किया गया है। ना0क0सं0 247 उक्त बेचाननामें के आधार पर ही अपीलांट्स के 1/2 हिस्से में रकबा 11.07.10 बीघा रेस्पो0 के नाम दर्ज किया गया है, जो विधि अनुकूल है। अपीलांट्स द्वारा उक्त स्वीकृत ना0क0 दिनांक 05.08.2003 के 14 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई व धारा 05 के प्रार्थना पत्र में विलंब का कारण जानकारी का अभाव होना बताया गया, जो संतोष योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे मियाद बाहर होना मानते हुए खारिज कर दिया गया। अतः

अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उक्त अपील खारीज करने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट है कि पंजीबद्ध बेचाननामे में अपीलांट्स के हिस्से की खसरा नं0 59 व 60 में वर्णित सम्पूर्ण खातेदारी की जमीन मौके अनुसार 06.05 बीघा (उत्तरी हिस्सा) का बेचान करना उल्लेखित है। अतः ना0क0सं0 247 बेचानशुदा रकबा भूमि का ही पारित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह स्पष्ट किया है कि जहां अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है वहां मियाद बिन्दु को गौण समझा जावे।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2018 एवं सरपंच ग्राम पंचायत सूरपुरा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 247 स्वीकृत दिनांक 05.08.2003 निरस्त किये जाते है। तहसीलदार जोधपुर पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 06.01.2000 के अनुसार उल्लेखित खसरान की भूमि में से रेस्पा0सं0 1 व 2 को विक्रयशुदा भूमि का विधिसम्मत ना0क0 पारित करने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 01 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर